अध्याय - 2

बलात्कार

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की वजह से, रमा की मां उसकी सुरक्षा के प्रति चिंतित थी और उसे बाहर नहीं जाने देती थी, उसके मित्र के घर पर भी नहीं और वह इस पर भी जोर दे रही थी कि रमा अपनी नौकरी छोड़ दें ।

रमा ने मीरा दीदी की सहायता मांगी । मीरा दीदी ने कहा कि यह एक व्यापक हित का मुददा है और इस पर कालोनी की सभी महिलाओं से चर्चा करने का निर्णय लिया । इसलिए उन्होंने मंदरि में साप्ताहिक कीर्तन के पश्चात इस मुददे को उठाया।

कानून बलात्कार को किस प्रकार परिभाषित करता है ?

बलात्कार तब हुआ माना जाता है जब कोई पुरूष निम्नलिखित स्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करे -

- उसकी इच्छा के विरूद्ध
- उसकी सहमति के बिना
- कभी-कभी शारीरिक सम्बन्धों हेतु महिला की स्वीकृति प्राप्त किए जाने के पश्चात भी, कृत्य बलात्कार हो सकता है यदि स्वीकृति को निम्नानुसार प्राप्त किया गया है तो -
- उसकी हत्या अथवा उसे चोट पहुंचाने या उसके हित वाले किसी व्यक्ति की हत्या तथा चोट पहुंचाने की धमकी देकर उसकी स्वीकृति प्राप्त करना ।
- उसका पति बनने का बहाना बनाकर उसकी स्वीकृति प्राप्त करके ।

- जब वह निम्नलिखित के कारण अपनी सहमति की प्रकृति तथा परिणामों को न समझती हो -
    - मानसिक स्थिति ठीक न होने
    - उसे आरोपी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दी गई शराब अथवा नशीली दवाओं के प्रभाव में
- 16 वर्ष की आयु से कम की किसी महिला के साथ चाहे वह इस कृत्य के लिए स्वीकृति भी प्रदान करती हो।

क्या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का बलात्कार कर सकता है ?

भारत में वैवाहिक बलात्कार की कोई अवधारणा नहीं है । भारत में दाम्पत्य सम्बन्ध के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है । इसलिए यदि कोई पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना अथवा उसकी इच्छा के विरूद्ध शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करता है तो भी वह बलात्कार नहीं माना जाएगा ।

परन्तु उपरोक्त के कुछ अपवाद हैं -

- यदि किसी व्यक्ति की पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम है और उसने उसके साथ यौन सम्बन्ध स्थापित किए हैं तो वह बलात्कार होगा।
- यदि पति तथा पत्नी अदालत के किसी आदेश द्वारा अलग-अलग रह रहे हैं और प्रथा अथवा उपयोग के द्वारा पति ने बिना पत्नी की सहमति के उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किए तो वह बलात्कार होगा।
- यदि किसी पुरूष ने किसी महिला के साथ उसका पति होने का बहाना करके शारीरिक संबंध स्थापित किए तो वह भी बलात्कार होगा।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम, 2005 जोकि एक सिविल कानून है, वैवाहिक बलात्कार को मान्यता प्रदान करता है।

सामूहिक बलात्कार

यदि पुरूषों का कोई समूह किसी महिला को मिलकर उनके साथ एक के बाद एक करके यौन सम्बन्ध स्थापित करने के लिए बाध्य करते हैं तो वे बलात्कार के दोषी होंगे ।

निम्नलिखित व्यक्ति भी बलात्कार के दोषी होंगे -

- ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी महिला का बलात्कार करने में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता हो
- ऐसा कोई व्यक्ति जो उसे चिल्लाने से रोकता हो
- ऐसा कोई व्यक्ति जो इस पर नजर रखता हो कि कोई आ तो नहीं रहा है।

कोई भी व्यक्ति जो बलात्कार के अपराध में सहायता करने के लिए कोई भी कृत्य करता है वह अपराधी है, चाहे वह कोई महिला ही क्यों न हो।

अभिरक्षा बलात्कार

अभिरक्षा बलात्कार तब होता है जब कोई बलात्कार किसी ऐसे पुरूष द्वारा किया जाए जिसके कब्जे में बलात्कार की जाने वाली महिला हो। महिलाओं को कब्जे में रखने वाले पुरूष आमतौर पर काफी मजबूत तथा शक्तिशाली स्थिति में होते हैं । यदि वे अपनी स्थिति का दुरूपयोग महिलाओं का यौन शोषण करने के लिए करें तो यह एक बहुत ही गम्भीर अपराध है।

यदि कोई पुरूष अपनी अभिरक्षा में होने वाली महिला का बलात्कार करे तो अभिरक्षा बलात्कार के लिए किसे दण्डित किया जाएगा?

- पुलिस
- लोकसेवक
- कारागार, सुधार गृह अथवा अस्पताल का प्रबन्धक या स्टाफ

बलात्कार हेतु दण्ड

- बलात्कार हेतु दण्ड कम से कम 7 वर्ष है और यह 10 वर्ष तक बढ़ सकता है।

- कुछ मामलों में बलात्कार हेतु न्यूनतम दण्ड 10 वर्ष है। ये हैं-
    - ➢ यदि पुरूष को पता हो कि महिला गर्भवती है तथा वह उसका बलात्कार करता है ।
    - ➢ यदि लड़की की आयु 12 वर्ष से कम है
    - ➢ सामूहिक बलात्कार
    - ➢ अभिरक्षा बलात्कार

बलात्कार महिलाओं के प्रति सबसे अमानवीय अपराधों में से एक है परन्तु अक्सर इस अपराध के विरूद्ध आवाज नहीं उठाई जाती है । महिलाएं जो इस अपराध का शिकार होती हैं आमतौर पर पुलिस को इसकी सूचना नहीं देती हैं और यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उसे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं ।

आमतौर पर ऐसे अपराधों की सूचना पुलिस को निम्नलिखित कारणों से नहीं दी जाती है-

- पुलिस महिला को जिम्मेवार ठहराती है अथवा कहती है कि उसका चरित्र खराब है ।
- उसके तथा उसके परिवार की समाज में बदनामी होती है ।
- उसका बलात्कार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया होता है जो उसके तथा उसके परिवार से परिचित था या वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है।
- वह यह सोचती है कि महिलाएं सदैव ही कमजोर रही हैं और पुरूषों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है ।
- वह अपने साथ किए गए कृत्य के बारे में कुछ नहीं बोल सकती है ।
- यदि वह बच्ची हो तो वह यह समझने में असमर्थ होती है कि उसके साथ क्या किया गया है ।

कानून बलात्कार की पीड़ित को निम्नलिखित सहायता मुहैया करवाता है-

- दोषी के लिए कड़ा दण्ड निर्धारित किया गया है ।

- पहचान को छुपाना -
    - **पुलिस को किसी भी व्यक्ति को महिला के नाम तथा ब्यौरे नहीं बताने चाहिए ।**
    - **न्यायालय में कार्यवाही बन्द कमरे में होती है। आम जनता न्यायालय में आकर कार्यवाही को नहीं देख सकती है।**

पीड़ित की पहचान को प्रकट नहीं करना चाहिए

- पीड़ित की चिकित्सा जाँच बलात्कार के अपराध के होने की सूचना प्राप्त होने के समय से 24 घंटे के भीतर किसी सरकारी अस्तपताल में या पीड़ित की स्वीकृति से या अन्य कोई व्यक्ति जो उसकी ओर से स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत हो, की स्वीकृति से ऐसी महिला को किसी पंजीकृत मेडीकल प्रैक्टीशनर के पास भेजकर करवाई जानी चाहिए। बिना स्वीकृति के करवाई गई जाँच गैर-कानूनी होगी।

- डाक्टर पीड़ित की जाँच करके एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें जाँच प्रारम्भ तथा पूर्ण होने का सटीक समय दिया गया होगा और साथ ही पीड़ित द्वारा/उसकी ओर से दी गई स्वीकृति भी दर्ज की गई होगी । रिपोर्ट में पीड़ित का नाम तथा पता और उसे जिस व्यक्ति द्वारा लाया गया, उसकी आयु, डीएनए प्रोफाइलिंग हेतु महिला में से उस व्यक्ति के लिए गए पदार्थ का विवरण, चोटों के निशान, उसकी मानसिक स्थिति, और ऐसे अन्य विवरण होंगे ।
- जब किसी व्यक्ति को बलात्कार का अपराध करने अथवा बलात्कार का प्रयास करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो पंजीकृत मेडीकल प्रैक्टीशनर उसकी चिकित्सा जाँच करेगा और वह इस प्रयोजन हेतु तर्कसंगत बल का भी प्रयोग कर सकता है ।

बलात्कार के मामले में क्या न करें :

- **स्नान न करें अथवा अपने वस्त्र न बदले** - स्नान करने अथवा वस्त्र बदलने से महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है । यद्यपि यह बहुत गन्दा लगेगा और लड़की जानबूझकर स्नान करना चाहेगी, परन्तु उसे ऐसा नहीं करना चाहिए ।

बलात्कार के मामले में क्या करें :

- **किसी को बताएं** - किसी भरोसेमन्द व्यक्ति को बताना सदैव ही बेहतर रहता है । तत्काल किसी के साथ पुलिस स्टेशन जाएं और यदि संभव हो तो सरपंच अथवा ग्राम प्रमुख को सूचित करें या किसी सामाजिक समाज सेवक अथवा एनजीओ से सम्पर्क करें ।
- **प्राथमिकी दर्ज करें** - पुलिस के पास तत्काल रिपोर्ट दर्ज करवाई जानी चाहिए और कोई व्यक्ति पीड़ित के साथ जाना चाहिए । ऐसे मामलों में विलम्ब, महत्वपूर्ण साक्ष्यो को नष्ट कर सकता है।
- **चिकित्सा जॉच** - पुलिस पीड़ित को चिकित्सा जाँच हेतु भेजती है । वे उसकी वस्त्रों को लेकर उन्हें एक सील बन्द लिफाफे में रख सकती है ताकि उन्हे उचित जाँच हेतु भेजा जा सके ।

यदि नजदीक में कोई पुलिस थाना नहीं है तो महिला को अपनी जाँच एक स्वतंत्र चिकित्सक से करवानी चाहिए ।

सदैव चिकित्सा रिपोर्ट की एक प्रति की माँग मांगे।

यह भी याद रखें कि :

- किसी भी पुलिसकर्मी को महिला को छूने की अनुमति नहीं है।
- यहां तक कि कोई मजिस्ट्रेट भी उसे छू अथवा जाँच नहीं सकता। केवल एक अर्हता प्राप्त चिकित्सक ही चिकित्सा जाँच कर सकता है।

➢ महत्वपूर्ण अदालती निर्णय :

❖ दिल्ली डोमिस्टिक वर्किंग वूमेन फोरम बनाम भारत संघ *(1995) 1 एससीसी 14*

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार के मामलों में अभियोजन हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं -

- यौन आघात की शिकायतों के मामले में कानूनी प्रतिनिधित्व मुहैया करवाया जाना चाहिए । ऐसा व्यक्ति भलीभांति परिचित होना चाहिए । अधिवक्ता की भूमिका पीड़ित को मात्र कार्यवाहियों की प्रकृति को समझाने, मुकदमें के लिए तैयार करने तथा उसकी सहायता करने की नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे ऐसा मार्ग-दर्शन मुहैया करवाने की होनी चाहिए कि वह अन्य एजेंसियों जैसेकि मनोवैज्ञानिक परामर्श अथवा चिकित्सा सहायता, से भिन्न प्रकृति की सहायता किस प्रकार प्राप्त कर सकती है ।
- चूंकि पीड़ित एक तनाव वाली स्थिति में हो सकती है इसलिए कानूनी सहायता को पुलिस थाने में ही मुहैया करवाया जाना चाहिए । इस स्तर पर किसी वकील का परामर्श तथा समर्थन काफी सहायक होगा।
- पूछताछ किए जाने से पूर्व पीड़ित को उसके एक वकील कर सकने के अधिकार के सम्बन्ध में सूचित करना पुलिस का कर्त्तव्य होना चाहिए ।

- इन मामलों में कार्य करने के इच्छुक वकीलों की एक सूची पुलिस थाने में रखी जानी चाहिए ।
- अधिवक्ताओं को अदालत द्वारा पुलिस के आवेदन किए जाने पर जल्द से जल्द नियुक्त किया जाना चाहिए परन्तु पीड़ित से बिना किसी अधिवक्ता के पूछताछ न की जाए इसलिए अधिवक्ता अदालत की अनुमति मांगे जाने अथवा प्राप्त किए जाने से पूर्व पुलिस थाने में कार्य करने के लिए प्राधिकृत होना चाहिए ।
- बलात्कार के सभी मुकदमों में पीड़ित की पहचान को गुप्त रखा जाना चाहिए।

❖ पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह *(1996) 2 एससीसी 384*

पीड़ित की पहचान गुप्त रखना - अपराधिक कार्यवाहियों में पीड़ित के नाम तथा पते को गुप्त रखा जाना चाहिए ।आरोपी को आरोप-पत्र की प्रतियां देते समय भी पीड़ित की पहचान को छुपाए रखा जा सकता है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार के मुकदमें के संबंध मे निर्णय देते हुए कहा था कि "जहां तक सम्भव हो अदालतों को अपने आदेशों में अभियोजिका के नाम को प्रकट करने से बचना चाहिए ताकि पीड़ित एक यौन अपराध से और लज्जित होने से बचा जा सके ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 यह प्रावधान करती है कि कुछ यौन अपराधों का अभियोजन बन्द कमरे में किया जाना चाहिए । ऐसा होने से पीड़िता अपना बयान आसानी से दे सकेगी। जनता तथा मीडिया की मौजूदगी पीड़ित के दिमाग में संकोच की भावना उत्पन्न करती है और वह मुक्त रूप से अपना बयान देने में समर्थ नहीं होगी ।

यदि गवाह अथवा पीड़ित को बचाया जाता है तो "यह अपराध के पीड़ितों को अधिक परिचित न होने वाले वातावरण में थोड़ा संतोषजनक महसूस करने तथा प्रश्नों का उत्तर और अधिक आसानी से दे पाने में समर्थ बनाएगा। बन्द कमरे से मुकदमा चलाया जाना पीड़ित के आत्म सम्मान को बनाए रखेगा तथा विधायी मन्शा के अनुरूप होगा। इसके अभियोजिका

के साक्ष्य की गुणवत्ता में सुधार करने की भी सम्भावना है क्योंकि वह उतनी नहीं हिचकेगी जितना वह एक खुली अदालत में जनता की आंखों के सामने बताने में हिचकती। उसके साक्ष्य की बेहतर गुणवत्ता अदालतों को सत्य का पता लगाने और झूठ से सच को अलग करने में भी सहायता करेगी।"

❖ साक्षी बनाम भारत संघ, 2004 (6 स्केल 15)

उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में व्यक्त किए गए अभिमत दोहराए जाने योग्य हैं। अदालत ने मत व्यक्त किया कि "अदालत के समक्ष सम्पूर्ण जाँच सत्य का पता लगाने के लिए होती है, इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि पीड़ित अथवा गवाह समूची घटना के बारे में बिना किसी लज्जा के एक मुक्त वातावरण में बता पाने में समर्थ हों। आरोपी को देखे जाने मात्र से ही पीड़ित अथवा गवाहों के मन में अत्यधिक भय उत्पन्न हो सकता है अथवा उन्हें सदमा लग सकता है। ऐसी स्थिति में वह घटना के पूरे ब्यौरे दे पाने में समर्थ नहीं होगा/नहीं होगी जोकि न्याय की हत्या होने में परिणत हो सकता है। इसलिए **एक स्क्रीन अथवा ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए जहाँ पीड़ित अथवा गवाह को आरोपी के शरीर अथवा मुख को देखने की व्यथा से न गुजरना पड़े।**" अदालत ने कहा "प्रायः प्रतिपरीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न जानबूझकर बलात्कार तथा बाल यौन दुर्व्यवहार के पीड़ितों को लज्जित अथवा भ्रमित करने के लिए बनाए जाते हैं। उनका उद्देश्य यह होता है कि शर्म अथवा लज्जा की भावना से पीड़ित आरोपी द्वारा किए गए कुछ कृत्यों के बारे में नहीं बोलेगा अथवा उनके ब्यौरे नहीं देगा। अतः यह बेहतर होगा यदि प्रतिपरीक्षा के दौरान आरोपी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को लिखित में दिया जाए जिन्हें पीड़ित अथवा गवाह से ऐसी भाषा में पूछा जा सके जो लज्जित करने वाली न हों।"

❖ **महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर एन.मारडीकर (1991) 1 एससीसी 57** के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि "किसी महिला का व्याभिचारी होना उसे किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं देता है । यदि उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा उसके शील को भंग करने का प्रयास किया जाता है तो उसे कानून सुरक्षा का अधिकार है। इसलिए मात्र उसके व्याभिचारी होने के कारण उसके साक्ष्य की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

पहले कानून में प्रतिपरीक्षा करने वाले को बलात्कार के पीड़ित से उसके पूर्व चरित्र के संबंध में प्रश्न करने की अनुमति थी। ये प्रश्न काफी लज्जित करने वाले होते हैं और पीड़ित पर गम्भीर भावनात्मक तनाव डालते हैं । इन प्रश्नों में न केवल आरोपी के साथ उसके पूर्व के अनैतिक सम्बन्धों को जोड़ा जाता है बल्कि उसके तथाकथित अनैतिक चरित्र पर भी आरोप लगाए जाते हैं । इस प्रावधान को अब हटा दिया गया है। भारतीय साक्ष्य (संशोधन) अधिनियम, 2002 में साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 146 की उप धारा (3) के नीचे एक परन्तुक शामिल किया गया है जिसमें बलात्कार के किसी पीड़ित को उसके पूर्व चरित्र के संबंध में अनावश्यक प्रश्न पूछे जाने से सुरक्षा प्रदान की गई है।

❖ **अध्यक्ष, रेल बोर्ड बनाम चन्द्रिमा दास, एआईआर 2000 एससी 998,** में कलकत्ता उच्च न्यायालय की प्रैक्टिस कर रही एक अधिवक्ता ने विभिन्न रेलवे प्राधिकारियों के विरूद्ध एक याचिका दायर की थी जिसमें पीड़ित जोकि एक बांगलादेशी नागरिक थी और जिसके साथ हावड़ा स्टेशन पर यात्री निवास के एक कक्ष में रेलवे के कर्मचारियों सहित कई व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था, के लिए मुआवजे का दावा किया गया था । उच्च न्यायालय ने 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया । उच्चतम न्यायालय ने यह पाया कि "बलात्कार" संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी महिला को दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है विदेशी नागरिक भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुरक्षा के पात्र हैं ।आगे यह भी निर्णय दिया गया था कि जहाँ सरकार के कर्मचारियों

द्वारा अपने प्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए बलात्कार किया जाता है वहाँ मुआवजा अदा करने की एक संवैधानिक देयता भी उत्पन्न होती है।

❖ बोधिसत्वा गौतम बनाम सुश्री सुभ्रा चक्रबर्ती (1995)

सुभ्रा चक्रबर्ती (उर्फ कल्पना) जोकि बैपटिस्ट कॉलेज, कोहिमा की विद्यार्थी थी जहाँ बोधिसत्वा गौतम एक लेक्चरर थे, ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कोहिमा, नागालैण्ड की अदालत में एक शिकायत दर्ज की कि शिकायतकर्ता से धोखा की मंशा से आरोपी ने शिकायतकर्ता से विवाह करने का झूठा आश्वासन दिया और इस तरह आरोपी ने धोखाधड़ी से शिकायतकर्ता के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित किए। आरोपी ने विवाह का झूठा आश्वासन देकर न केवल शिकायतकर्ता को प्रेरित किया और उसके साथ सहवास किया बल्कि धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से एक विवाह समारोह भी किया जिसका उसे ज्ञान था कि वह कोई वैध विवाह नहीं है और इस प्रकार धोखे से शिकायतकर्ता को यह मानने पर मजबूर किया कि वह आरोपी की कानूनी विवाहिता पत्नी है । आरोपी ने शिकायतकर्ता को उसकी इच्छा के विरूद्ध दो बार गर्भपात के लिए बाध्य करके गर्भपात का अपराध भी किया ।

अदालत ने यह निर्णय दिया कि यह एक गम्भीर आरोप है कि आरोपी ने ईश्वर के समक्ष पूजा करके शिकायतकर्ता के माथे पर सिन्दूर डालकर विवाह किया है और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया तथा उसे 2 बार गर्भवती भी किया। दोनों ही अवसरों पर गर्भपात भी कराया, इसलिए अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कोहिमा, नागालैण्ड की अदालत में अपराधिक मामला संख्या 1/95 लम्बित होने के दौरान आरोपी को शुभ्रा चक्रबर्ती को प्रतिमाह 1000/- रुपए का अन्तरिम मुआवजा देने का आदेश दिया । वह शिकायत की तिथि से उक्त दर पर मुआवजे के बकाया का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी था ।

❖ महाराष्ट्र राज्य और पी.सी.सिंह बनाम डा. प्रफुल्ल बी. देसाई एवं अन्य अपराधिक अपील 2003 की 476/477 (एससी)

वीडियो कान्फ्रेंसिंग - उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के आधार पर बलात्कार के मुकदमों में साक्ष्य की रिकार्डिंग का उपयोग किया जा सकता है ।

साक्ष्य में मौखिक, दस्तावेजी तथा इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड शामिल होते हैं जिसमें **वीडियो कान्फ्रेंसिंग** शामिल है । किसी गवाह के बयान को **वीडियों कान्फ्रेंसिंग** के माध्यम से रिकार्ड किया जा सकता है । जब किसी बयान को इस पद्धति के द्वारा रिकार्ड किया जाएगा तो पीड़ित और अधिक संतोषजनक महसूस करेगी और बिना किसी भय अथवा दबाव के उत्तर देगी।